

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

पीठासीन अधिकारी:- आलोक जैन आर0ए0एस0

कैलाशसिंह

बनाम

रायल डीड ट्रेड व अन्य

वादी

दावा बाबत 89,188 राज0 का0 अधि01955

मुकदमानम्बर :-185/16

निर्णय दिनांक :-13.11.2017

वादी की ओर से अभिभाषक निर्मल जैन एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 श्री तान्ति प्रकाश ओझा अभिभाषक स्वयं उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 13.11.2017 को आलोक जैन आर0ए0एस0 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- बरूह निर्णय दिनांक 13.11.2017 में वर्णित भाग अ व भाग ब में दर्शितानुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ग्राम गेगल स्थित आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार अजमेर को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज एवं राजस्व नक्शे में त्रुमीम की जावे।

(आलोक जैन)

सहायक कलक्टर (मु0)

एवं कार्य अजमेर मजि. (मु.)
अजमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1-वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	
2-शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3-प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4-.....रूपयेपरप्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह- व्यय	
5-साक्षियों के लिए निर्वाह- व्यय		आदेशिका की तामिल	
6-कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7-आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	



(आलोक जैन)

सहायक कलक्टर (मु0)

एवं कार्य अजमेर मजि. (मु.)
अजमेर